

प्रारूप-6
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 10-12-2014 को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला (एजेन्सी का नाम) के द्वारा टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग कि0मी0 9 (8/28) से थौरिण्डाधार तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री श्री आर0एन0 श्रीवास्तव, उप प्रभागीय वनाधिकारी, आराकोट उप प्रभाग, टौंस वन प्रभाग पुरोला राजस्व विभाग की ओर से श्री श्री अनिल सिंह असवाल, उपराजस्व निरीक्षक, टिकोची प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री डी0एस0 रावत, सहायक अभियंता अन्य दावेदारों की ओर से श्री श्री दिनेश चौहान सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम किराणु तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री ज्ञान सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत किराणु के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 524.45 (मी0) नाप भूमि से, 3575.56 (मी0) सिविल भूमि से, — (मी0) वन पंचायत से, 350.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन / स्थल के चयन में कुल 0.472 हे0 नाप भूमि, 3.218 हे0 सिविल भूमि, — हे0 वन पंचायत भूमि 0.315 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.533 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 69 वृक्ष चीड़, रई, कैल, देवदार, मुरिण्डा प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 361.11 (मी0) नाप भूमि से, 3611.11 (मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, 477.78 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.325 हे0 नाप भूमि, 3.250 हे0 सिविल भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि 0.430 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.68 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 72 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन आरक्षित वन 01 कक्षा से गुजरेंगा/में स्थित है। इन कक्षा की वर्तमान वन आच्छादन सामान्य है एवं इन कक्षा में विभिन्न प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.472 है0 पर शून्य प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 77°51'9.46"E 31°03'50.17"N है तथा यह स्थल टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग कि0मी0 9 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखन का अन्तिम थौरिण्डाधार स्थल है जिसका GPS मान 77°50'34.83"E 31°04'21.65"N है। चुने गये समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 77°50'46.81"E 31°03'57.77"N हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखन पर मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 06 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 77°50'59.53"E 31°03'48.28"N, 77°50'45.43"E 31°03'51.89"N, 77°50'40.02"E 31°03'55.84"N, 77°50'51.97"E 31°03'54.80"N, 77°50'46.81"E 31°03'57.77"N, 77°50'34.83"E 31°04'21.65"N हैं।

अन्य आवश्यक विवरण :- उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों एवं क्षेत्र के कास्तकारों को अपनी नगदी फसलों को कम ढुलान दरों पर स्थानीय मण्डियों तक पहुँचाने में सुविधायें मिलेगी जिससे क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा।

(डी0एस0 रावत)
सहायक अभियंता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
पुरोला (उत्तरकाशी)
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(आर0एन0 श्रीवास्तव)
उपप्रभागीय वनाधिकारी
(आराकोट) टौंस वन
प्रभाग पुरोला
(वन विभाग)

(अनिल सिंह असवाल)
राजस्व निरीक्षक,
टिकोची, मोके
क्षेत्र, उत्तरकाशी
जिला उत्तरकाशी विभाग)

(दिनेश सिंह चौहान)
सामाजिक कार्यकर्ता
किराणु
(अन्य दावेदार)

(ज्ञान सिंह)
ग्राम पंचायत किराणु
वि0ख0 मोरी (उत्तरकाशी)
प्रधान ग्रामपंचायत
किराणु, मोरी
(जन प्रतिनिधि)

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from Construction Division, P.W.D. Purola for diversion under FCA-1980) of 3.533 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Construction of Kiranu Dhuniyara Thurindadhar Motor Road in Block Mori District Uttarkashi, Under CM Ghosna 246/2013 The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 3.533 ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-
- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✕
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. ✕

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

Place:- Purola

(Signature)

Date.....

Name.....

Designation : D.C.F.

प्रभागीय वनाधिकारी

Office Seal.....

टिप्पणी वन प्रभाग

पुसेला (उत्तराखण्ड)

N.B.
diverted.

x State the purpose for which the forest land is proposed to be

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.